वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ कारीगरों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए कारीगरों की गणना का कार्य फिलहाल चल रहा है। कारीगरों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की सुविधाएं देने के लिए सरकार कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में प्रशिक्षण, डिजाइन और तकनीकी विकास, विपणन एवं विपणन विकास सहायता, प्रदर्शनी एवं प्रचार, शिल्प विकास केन्द्रों/सामान्य सुविधा केन्द्रों, एम्पोरियमों की स्थापना, पेंशन, वर्कशेड-कम-हाऊसिंग, सामूहिक बीमा और अस्पताल में भर्ती करना शामिल है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) हस्तशिल्प कारीगरों को रियायती ऋण उपलब्ध करा रहे हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

2412. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के गुजरात और महाराष्ट्र समेत राज्य-वार कुल कितने कर्मचारी लाभान्वित हुये और उनको कितना लाभ पहुंचा है;

(ख) उक्त कर्मचारियों को श्रेणी-वार कुल कितना वित्तीय लाभ पहुंचा है; और

(ग) उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनको उक्त आयोग की सिफारिशों से अभी तक लाभ नहीं मिला है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में अध्यक्षों की नियुक्ति

2413. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम में सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अध्यक्षों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनके कार्यकाल की अवधि कितनी निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार को उनके खिलाफ कदाचार, भ्रष्टाचार और वित्तीय घपलों की शिकायतें मिली हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सतर्कता विभाग ने इस संबंध में कोई विस्तृत जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा): (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एक धारक कंपनी है जो नई दिल्ली में स्थित है तथा 9 सहायक निगम अर्थात एन०टी०सी० (ए०बी०के०के० एंड एम०) लि० बंगलौर, एन०टी०सी० (डी०पी०आर०) लि०, नई दिल्ली, एन०टी०सी० (गुजरात) लि०, अहमदाबाद में, एन०टी०सी० (एम०पी०) लि०, इंदौर में, एन०टी०सी० (एम० एन०) लि०, मुंबई में, एन०टी०सी० (एस० एम०) लि०, मुंबई में, एन०टी०सी० (बी० एंड पी०) लि०, कोयम्बटी में, एन०टी०सी० (यू० पी०) लि०, कानपुर में, एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०एंड बी०ओ०) लि०, कलकत्ता में स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति एन०टी०सी० (धारक कंपनी), एन०टी०सी० (ए०पी०के०के० एंड एम०) लि०, एन०टी०सी० (एम०एन०) लि०, एन०टी०सी० (एस०एम०) लि०, एन०टी०सी० (एम०पी०) लि०, एन०टी०सी० (डी०पी० एंड आर०) लि० तथा एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी० एंड ओ०) लि०, में की गयी है। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा सेवा निवृत्ति की तारीख तक/अगले आदेश होने तक, इसमें जो भी पहले हो के लिए की गई थी।

(ख) और (ग) कुछ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध समय-समय पर मकानों के निर्माण की प्रकृति, बिक्रियों में कमीशन लेने, वित्तीय हेराफेरी करने, कोयले की खरीदारी के सौदों में आपसी लाभ प्राप्त करने, निजी प्रयोग के लिए कारों का इस्तेमाल करने, पदोन्नतियों, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा जोब कार्य में अनियमितताएं बरतने, झूठे बिलों के दावे करने आदि के बारे में इनकी विस्तृत जांच की गयी।

(घ) इस संबंध में की गयी जांच के आधार पर उनमें से किसी को भी सिद्ध नहीं किया जा सका है।

3915/LS-F64.